



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2009/भाद्र 19, 1931

No. 513]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2009/BHADRA 19, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- (3) द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में,—
- (क) खंड 2 में,—

(i) उप-खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(छछ) "गृहस्थी" से, सम्मिलित रसोई रखने वाले किसी निवास एकक में साथ-साथ रहने वाले पति, पत्नी, अविवाहित बालक और आश्रित माता-पिता से मिलकर बनने वाला एक कुटुम्ब अभिप्रेत है :

परंतु कोई द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कम्पनी द्वारा गृहस्थी के केवल किसी वयस्क सदस्य के नाम में जारी किया जाएगा;

(ii) उप-खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(डड) "पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कम्पनी" से उपभोक्ताओं को, चाहे वह घरेलू या वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थापन हों, प्रदाय करने के लिए, गैस के विपणन या वितरण या दोनों के लिए विद्यमान या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई कंपनी या किसी फर्म की कोई निकाय, अभिप्रेत है।

(डडड) "घरेलू जालवत् प्रणाली" से केवल घरेलू प्रयोजन के लिए समान ऊंचाई के विभिन्न गृहों को या बहुमंजिले भवन या गृहों के समूह को पाइप लाइनों के नेटवर्क के माध्यम से सिलेंडरों के बैंक या केन्द्रीयकृत प्रकार्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस भंडारकरण टैंक से द्रविकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण की प्रणाली, अभिप्रेत है।

(ख) खंड 3 में,—

- (i) "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "गृहस्थी" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) उप-खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) यदि कोई व्यक्ति, किसी कंपनी, सार्वजनिक या प्राइवेट, से पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने के साठ दिन के परे किसी सरकारी तेल कंपनी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लिए गए घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन का रखा जाना जारी रखता है तो सरकारी तेल कंपनी को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस के ऐसे उपभोक्ता को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के पश्चात, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता को लिखित में सूचना देते हुए द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन को रद्द करने की शक्ति होगी”।

(iii) उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) घरेलू प्रवर्ग उपभोक्ताओं को द्रविकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय 14.2 किग्रा. और 5 किग्रा. क्षमता वाले सिलेंडर में किया जाएगा और अघरेलू प्रवर्ग में आने वालों को 19 किग्रा., 35 किग्रा. और 47.5 किग्रा. क्षमता वाले सिलेंडर में किया जाएगा या ऐसी क्षमता में, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किया जाएगा।”

(iv) उप-खंड (4) में, “सामानान्तर विपणनकर्ता” शब्दों के पश्चात् “या पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) अनुसूची में, क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“13. ऐसे उपभोक्ता को, जिसके पास पहले ही पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन हैं, घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन प्रदान करना”।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

(पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए)

1. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस के किसी विद्यमान उपभोक्ता को, पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के भीतर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन अभ्यर्पित करने का परिवचन अभिप्राप्त किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन प्रदान करना।

2. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस के किसी ऐसे विद्यमान उपभोक्ता को जिसने पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के पश्चात् घरेलू द्रविकृत पेट्रोलियम गैस संयोजन अभ्यर्पित नहीं किया है, पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रदाय जारी रखना”।

(घ) अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 2

[खण्ड 4(1)(ड) और खण्ड 5 देखिए]

सरकारी तेल कम्पनी के वितरकों को लागू होना

द्रविकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 3196 (भाग 1), 1992 रंग कोड विनिर्देश आई एस 4379 और निम्नलिखित के अनुरूप होगा :

सिलेंडर का आंतरिक व्यास मि.मी. में	सिलेंडर में द्रविकृत पेट्रोलियम गैस का शुद्ध भार
270 मि.मी. +1% -0%	5 किग्रा. + 50 ग्राम -
314 मि.मी. +1% -0%	14.2 किग्रा. + 150 ग्राम -
330 1 मि.मी. +2% -0%	19 किग्रा. + 1.0% -
365.0 मि.मी. +1% -0%	35 किग्रा. + 1.0% -
368.3 मि.मी. +1% -0%	47.5 किग्रा. + 1.0% -

(+, - किसी भी ओर के अंतर को उपदर्शित करते हैं)

- टिप्पण : 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गैस सिलेंडर वाल्व का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 8737 विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 25.6 मि.मी. होगा।
2. दाब रेगुलेटर आई एस 9798 विनिर्देश के अनुरूप होगा जिसका व्यास 25.6 मि.मी. होगा।

[पी-17011/4/2007-विप.]

अपूर्व चंद्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002 और सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2009

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000,—

(a) in clause 2,—

(i) after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

(gg) “household” means a family consisting of husband, wife, unmarried children and dependent parents living together in a dwelling unit having common kitchen :—

Provided that a Liquefied Petroleum Gas connection shall be issued only in the name of any adult member of the household by a Government oil company under the public distribution system;

(ii) after sub-clause (m), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(mm) “piped natural gas supplying company” means any company or a body of a firm existing or authorized by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for the marketing or distribution or both of gas for supply to consumers, whether household or commercial or Industrial establishments.

“(mmm) “domestic reticulated system” means a system of distribution of Liquefied Petroleum Gas from a bank of cylinders or centralized bulk Liquefied Petroleum Gas storage tank or both through a network of pipelines to different houses within the same high-rise or multistorey building or group of houses for domestic purpose only’.

(b) in clause 3,—

(i) for the word “person” wherever it occurs, the word “household” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(1A) If any person continues to have domestic Liquefied Petroleum Gas connection taken under public distribution system from a Government Oil Company beyond sixty days of obtaining a piped natural gas connection from any company, public or private, a Government Oil Company shall have the power to cancel domestic Liquefied Petroleum Gas connection of such piped natural gas consumer after sixty days from the date of its obtaining piped natural gas connection by giving a notice to the domestic Liquefied Petroleum Gas consumer in writing by registered post.”

(iii) for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted namely :—

“(2) The supply of liquefied petroleum gas to domestic category consumers shall be made in 5 Kg and 14.2 Kg capacity cylinder and to those falling under non-domestic category shall be made in 19 Kg, 35 Kg and 47.5 Kg capacity cylinder, or in such capacity cylinders as may be notified, by the Central Government from time to time.”

(iv) in sub-clause (4), after the words “parallel marketer” the words “or a piped natural gas supplying company”, shall be inserted.

(c) in the Schedule, after serial number 12 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“13. Providing domestic Liquefied Petroleum Gas connection to a consumer who is already owning a Piped Natural Gas connection”.

Prohibited Activities

(for Piped Natural Gas providing companies)

1. Providing Piped Natural Gas connection to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company without obtaining an undertaking to surrender the Liquefied Petroleum Gas connection within sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.

2. Continue to supply piped natural gas to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company, who has not surrendered domestic Liquefied Petroleum Gas connection after sixty days from the date of obtaining the Piped Natural Gas connection.

(d) for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

Schedule-II

[see clauses 4(1) (e) and 5]

Applicable to distributors of a Government Oil Company

Standard size and specification of Liquefied Petroleum Gas Cylinders shall conform to IS 3196 (Part I), 1992 Colour code specification IS 4379 and the following :—

Internal diameter of cylinder in mm	Net weight of liquefied petroleum gas in the cylinder
270 mm + 1 %	5 kg + 50 gms
—0%	—
314 mm + 1%	14.2 kg + 150 gms
—0%	—
330.1 mm + 2%	19 kg + 1.0%
—0%	—
365.0 mm + 1%	35 kg + 1.0%
—0%	—
368.3 mm + 1%	47.5 kg + 1.0%
—0%	—

(+, --- indicate the variations on either side)

Note:— 1. Standard size and specification of Gas Cylinder Valve under the public distribution system shall conform to IS 8737 specifications having an outlet collar diameter of 25.6 mm.

2. Pressure regulator shall conform to IS 9798 specification having an inlet diameter of 25.6 mm.

[P-17011/4/2007-Mkt.]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and subsequently amended by G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002 and G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007.